संख्या- 310/2026/1861/22-2-2024-17(639)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृपाल सिंह पुत्र श्री कल्लू सिंह यादव, निवासी जनपद-हाथरस की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृपाल सिंह पुत्र श्री कल्लू सिंह यादव, खेमगढ़ी, थाना-सिंकादराराऊ, जनपद-हाथरस का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 19.04.2001 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के पुत्र का अपहरण कर 20 लाख रूपये की मांग करने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-81/2001 में भा०द०वि० की धारा-395, 364ए के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, (द०प्र०क्षे०) कोर्ट सं०-08, आगरा द्वारा दिनांक 29.05.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.03.2019 द्वारा धारा-395 आई०पी०सी० के अन्तर्गत दोषमुक्त किया गया तथा धारा-364ए आई०पी०सी० के अन्तर्गत आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 23.03.2023 तक अपरिहार 08 वर्ष, 05 माह, 25 दिन तथा 09 वर्ष, 11 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 23.03.2023 तक लगभग 55 वर्ष, 04 माह है।

3- सिद्धदोष बन्दी सिद्धदोष बन्दी कृपाल सिंह पुत्र श्री कल्लू सिंह यादव की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 55 वर्ष, 04 माह की आयु, बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 23.03.2023 तक अपरिहार 08 वर्ष, 05 माह, 25 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 11 माह, 09 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस द्वारा

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृपाल सिंह(बन्दी संख्या-17514) पुत्र श्री कल्लू सिंह यादव, निवासी जनपद- हाथरस की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 310/2026/1861(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।